CGRG010011592022

द्वितीय अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ०ग)

(पीठासीन अधिकारी– जितेन्द्र कुमार ठाकुर)

मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्र. –99/2022

संस्थित दिनांक – 28.06.2022

1. श्री शिव कुमार गोयल आ.स्व.विश्वनाथ गोयल

   उम्र–54 वर्ष

2. श्रीमती उषा गोयल पत्नी श्री शिवकुमार गोयल

   उम्र–48 वर्ष

3. आकाश गोयल आ.श्री शिवकुमार गोयल

   उम्र–24 वर्ष

4. श्रीमती सुप्रिया अग्रवाल आ.श्री शिवकुमार गोयल

   पति स्व.श्री सतीष अग्रवाल, उम्र–29 वर्ष

5. ना.बा.प्रथम अग्रवाल आ.स्व.सतीष अग्रवाल

   उम्र–10 वर्ष

6. ना.बा.आकृति अग्रवाल आ.स्व.सतीष अग्रवाल

   उम्र–06 वर्ष

(नाबालिक आवेदकगण क्रमांक–5 व 6 की ओर

से वली माता आवेदिका क्रमांक–4)

सभी स्थायी निवासी वार्ड नंबर 11 शांतिनगर

लैलूंगा, पोस्ट–लैलूंगा, थाना–लैलूंगा, तहसील–

लैलूंगा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

वर्तमान हाल मुकाम ग्राम–पुसौर, तहसील व थाना

पुसौर, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) **... ... ...आवेदकगण**

//विरुद्ध //

1. गप्पू महेन्द्रा ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड

निर्देशक श्रीमती कमलजीत कौर पति स्व.सतवंत सिंह गिल

पता–महेन्द्रा ट्रेवल्स न्यू बस स्टैण्ड रायपुर (छ.ग.)

खास मुख्तियार मदनमोहन अग्रवाल उम्र 64 वर्ष

निवासी वार्ड नम्बर 13 कोतबा रोड–

लैलूंगा, थाना लैलूंगा, तहसील–लैलूंगा जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

2. वाहन चालक–भोला साव आ.विसून साव, उम्र–40 वर्ष

निवासी ग्राम–बुकरू, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा (झारखण्ड)

3. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

द्वितीय तल, मोबिन महल, जी.ई.रोड रायपुर (छ.ग.)

4. शाखा प्रबंधक, एफ.डी.एफ.सी.इरगो जनरल इंश्योरेंस
कंपनी लिमि.थर्ड फ्लोर, चावला काम्प्लेक्स देवेन्द्रनगर
रोड, सांई नगर, रायपुर (छ.ग.) **... ... ...अनावेदकगण**

आवेदकगण की ओर से श्री राजीव कालिया अधिवक्ता ।
अनावेदक क्रमांक–01 व 02 द्वारा श्री मेदिनी मिश्रा अधिवक्ता ।
अनावेदक क्रमांक–03 द्वारा श्री एम.एस.रथ अधिवक्ता ।
अनावेदक क्रमांक–04 द्वारा श्री ए.एम.राबड़ा अधिवक्ता ।

// अधिनिर्णय //

(आज दिनांक 30/नवम्बर/2023 को पारित)

1. आवेदकगण द्वारा अनावेदकगण के विरुद्ध यह दावा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत कुल 01,05,72,000/– रुपये (एक करोड़ पाँच लाख बहत्तर हजार रुपये मात्र) क्षतिपूर्ति दिलाये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदकगण का दावा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 01.05.2022 समय 00.30 दिन रविवार को अंकेश गोयल जो अपने बलेनो कार क्रमांक–JH 01 DD 9047 स्वयं के द्वारा चालन करते धीरे–धीरे सावधानीपूर्वक अपने दिशा में चलाते हुए रायगढ़ से लैलूंगा अपने घर जा रहा था । ग्राम–गोसाईडीह के पास मेनरोड (लैलूंगा) तहसील व जिला रायगढ़

छ.ग. के पास पहुंचा था, तभी सामने से महिन्द्रा ट्रेवल्स बस जिसका क्रमांक C.G.04 NA 7915 का चालक अनावेदक क्रमांक–02 उक्त वाहन को तेजी लापरवाही, उपेक्षा व उतावलेपर से चलाते हुए अंकेश गोयल के द्वारा चलाये जा रहे बलेनो कार को दुर्घटना कारित कर दिया, जिससे अंकेश गोयल के शरीर के विभिन्न अंगों में गंभीर चोट लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया । जिसे लाकर सी.एच.सी.लैलूंगा ईलाज हेतु भर्ती किये जहाँ ईलाज के दौरान अंकेश गोयल का फौत (मृत्यु)हो गया । उक्त दुर्घटना कारित वाहन के चालक के विरुद्ध थाना लैलूंगा जिला रायगढ (छ०ग०) में अपराध क्र. 097/2022 अंतर्गत भा. द. सं. 1860 की धारा 304 (ए) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है । उक्त दुर्घटना कारित वाहन के चालक अनावेदक क्र.02 तथा उक्त दुर्घटना कारित वाहन का स्वामी अनावेदक क्र.01 है तथा प्रश्नाधीन वाहन अनावेदक क्र.03 के पास बीमाकृत था । दुर्घटना के समय बलेनो कार अनावेदक क्रमांक–04 के द्वारा बीमाकृत और दुर्घटना दिनांक को पूर्णरूप से प्रभावशील था । अतएव उक्त दुर्घटना से उद्भुत संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु अनावेदकगण संयुक्त एवं पृथक–पृथक रुप से उत्तरदायी है जिसके लिये आवेदकगण को अनावेदकगण से कुल 01,05,72,000– रुपये (एक करोड़ पाँच लाख बहत्तर हजार रुपये मात्र) क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का निवेदन किया है ।

3. अनावेदक क्र. 01 एवं अनावेदक क्र. 02 के द्वारा अपने जवाबदावा में आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन के लगभग समस्त कथनों को अस्वीकार करते हुये यह कथन किये है कि उपरोक्त दुर्घटना मृतक अंकेश की लापरवाहीपूर्वक कार चलाने से दुर्घटना घटित हुई है जिसमें अनावेदक क्रमांक–02 का किसी भी प्रकार से उपेक्षा एवं लापरवाही नहीं थी । अनावेदक क्र.02, अनावेदक क्र 01 के द्वारा नियोजित चालक है जिसके पास उक्त वाहन चलाने का वैद्य एवं प्रभावी अनुज्ञप्ति है तथा उक्त वाहन अनावेदक क्र. 03 के पास दुर्घटना दिनांक को बीमाकृत रहा है । अनावेदक क्र.01 व 02 के द्वारा बीमा के किन्ही भी शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है ऐसी स्थिति में उक्त दुर्घटना से उत्पन्न क्षति की अदायगी का उत्तरदायित्व अनावेदक क्र. 03 बीमा कंपनी की है । अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त करने अथवा बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4. अनावेदक क्र.03 बीमा कंपनी के द्वारा अपने जवाब दावा में आवेदकगण के प्रस्तुत दावा आवेदन के लगभग समस्त कथनों को अस्वीकार करते हुये यह कथन किया गया है कि प्रकरण में आवेदकगण मात्र ज्यादा प्रतिकर प्राप्त करने हेतु आवेदक क्रमांक–03 से 06 मृतक के विधिक एवं आश्रित प्रतिनिधि नहीं है । महिन्द्रा बस क्रमांक–C.G.04 NA 7915 के चालक का दुर्घटना दिनांक को वैद्य एवं प्रभावी वाहन अनुज्ञप्ति नहीं था, यह

जानते हुये भी वाहन स्वामी द्वारा वाहन का चालन किया गया, जो बीमा पालिसी की शर्तों का उल्लंघन है । अतः बीमा कंपनी कोई राशि अदा करने के लिये जिम्मेदार नहीं है । महिन्द्रा बस क्रमांक–C.G.04 NA 7915 बिना वैद्य परमिट, फिटनेस एवं प्रदूषण प्रमाण के वाहन स्वामी द्वारा यह जानते हुये वाहन का चालन कराया गया, जो मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा बीमा पालिसी की शर्तों का उल्लंघन है । अतः बीमा कंपनी कोई क्षति राशि अदा करने के लिये जिम्मेदार नहीं है । दुर्घटना के संबंध में वाहन स्वामी एवं चालक द्वारा मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है तथा बीमा कंपनी को दुर्घटना की सूचना तथा आवश्यक दस्तावेज प्रदान नहीं किये गये है । अतः अनावेदक क्र. 03 के दावा प्रचलन योग्य नहीं है ।

5. अनावेदक क्र.04 बीमा कंपनी के द्वारा अपने जवाब दावा में आवेदकगण के प्रस्तुत दावा आवेदन के लगभग समस्त कथनों को अस्वीकार करते हुये यह कथन किया गया है कि आवेदकगण द्वारा किये गये अभिवचन तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से विदित होता है कि कथित दुर्घटना महिन्द्रा ट्रेवल्स की बस के चालक भोला साव, अनावेदक क्रमांक–02 द्वारा बस को तेजी, लापरवाही,उपेक्षा व उतावलेपन से चालन करने के कारण कारित हुई है,ऐसी स्थिति में कथित दुर्घटना से कारित क्षति के प्रति इस अनावेदक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है । आवेदकगण द्वारा बिना किसी कारण व आधार के

अत्यंत बढ़ा–चढ़ाकर प्रतिकर की गणना करते हुए मनगढंत तथ्य अनुसार पेश किया गया है । आवेदकगण वर्णित अनुसार प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है ।

6. प्रकरण में निम्नलिखित वाद प्रश्न निर्मित किये गये है, जिनके सम्मुख मेरे द्वारा विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये जा रहे है–

क्र.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
01	क्या घटना दिनांक–01.05.2022 को समय लगभग 00.30 बजे, ग्राम–गोसाईडीह में मेनरोड थाना–लैलूंगा, जिला–रायगढ़ छ.ग. में अनावेदक क्रमांक–02 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 01 के स्वामित्व की महिन्द्रा ट्रैवल्स बस क्रमांक सी.जी.04 एन ए 7915 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए मृतक अंकेश गोयल के द्वारा चलाये जा रहे बेलेनो कार क्रमांक–जे.एच.01 डी डी 9047 को ठोकर मारकर दुर्घटनाग्रस्त किया जिससे	**" साबित "**

	मृतक अंकेश गोयल की मृत्यु हो गई ?	
02	क्या मृतक अंकेश गोयल की प्रतिमाह आय 40,000/-रूपये थी ?	**" साबित "**
03	क्या अनावेदक क्रमांक-02 के द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए प्रश्नाधीन वाहन का परिचालन किया जा रहा था ?	**" साबित नहीं "**
04	क्या आवेदक, अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति की राशि पाने के अधिकारी है ? यदि हां तो कितना व किससे ?	**" हां अधिनिर्णय की कंडिका- 29 के अनुसार निराकृत "**
05	सहायता एवं व्यय ?	**" अधिनिर्णय की कंडिका-30 के अनुसार निराकृत "**

// सकारण निष्कर्ष //

वाद प्रश्न क्र.01 की सकारण निष्कर्ष–

7. इस वादप्रश्न को साबित करने का भार आवेदकगण का है । आवेदक साक्षी स्वयं शिव कुमार गोयल (आ. सा. 01) ने अपने शपथपत्रीय कथन में बताया है कि घटना दिनांक 01.05.2022 समय 00.30 रात रविवार को अंकेश गोयल जो कि अपने बेलेनों कार वाहन क्रमांक JH 01 DD 9047 स्वयं के द्वारा चालन करते धीरे–धीरे, सावधानी पूर्वक, अपने दिशा में चलाते हुए रायगढ़ से लैलूंगा अपने घर जा रहा था । ग्राम गोसाईडीह के पास मेन रोड (लैलूंगा) तहसील लैलूंगा व जिला रायगढ़ छ.ग. के पास पहुंचा था, तभी सामने से महिंन्द्रा ट्रेवल्स बस जिसका पंजीयन क्रमांक CG 04 NA 7915 का चालक अनावेदक क्रमांक 02 भोला साव उक्त वाहन को तेजी लापरवाही, उपेक्षा व उतावलेपन से चलाते हुए अंकेश गोयल के द्वारा चलाए जा रहे बेलेनों कार को दुर्घटना कारित कर दिया, जिससे अंकेश गोयल के शरीर के विभिन्न अंगों में गंभीर चोट लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया । जिसे लाकर सी.एच.सी. लैलूंगा ईलाज हेतु भर्ती किया गया । ईलाज के दौरान अंकेश गोयल का फौत (मृत्यु) हो गया ।

8. आवेदकगण की ओर से अपने दावा आवेदन पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रथम सूचना प्रत्र प्रपी० 1, मर्ग इंटीमेशन प्रपी० 2, शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रपी० 3, वाहन जपत्ति पत्रक प्रपी० 4, सुपुर्दनामा ज्ञापन

प्रपी० 5, गिरफ्तारी पत्रक के प्रमाणित प्रति प्रपी० 6 एवं आयकर रिटर्न 2013–2014, 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019, 2020–2021, 2022–2023 तक एवं एक्नालेजमेंट की छायाप्रति एवं इंश्योरेंस, वाहन चालन अनुज्ञप्ति, वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर विभाग का पेन कार्ड एवं अंकेश गोयल, शिव कुमार गोयल, उषा गोयल, आकाश गोयल, सुप्रिया अग्रवाल, प्रथम अग्रवाल, आकृति अग्रवाल की आधार कार्ड एवं मृतक अंकेश कुमार की मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति पेश किया गया है। उपरोक्त दस्तावेजों का परिशीलन किया गया ।

9. आवेदक साक्षी क्र. 01 शिव कुमार गोयल ने अपने प्रति परीक्षण में बचाव पक्ष के सुझाव को स्वीकार किया है कि वह दुर्घटना कारित होते हुए नहीं देखा है। आवेदिका सुप्रिया अग्रवाल का विवाह हो चुका है। आवेदक क्रमांक 05 एवं 06 मृतक की संतान नहीं है। वह जितने भी इनकम टैक्स की छायाप्रति की दस्तावेज पेश किया है वे दस्तावेज सहेली फैंन्सी से संबंधित है। साक्षी स्वतः कथन किया है कि मोबाईल दुकान का नाम ही सहेली फैंन्सी था।

10. आवेदक साक्षी प्रकाश गोयल (अ.सा.02) ने अपने शपथपत्रीय कथन में बताया है कि अंकेश गोयल ग्राम गोसाईडीह के पास मेन रोड (लैलूंगा) तहसील लैलूंगा व जिला रायगढ़ छ.ग. के पास पहुंचा था, तभी सामने से महिंन्द्रा ट्रेवल्स बस जिसका पंजीयन क्रमांक CG 04 NA 7915 का चालक अनावेदक क्रमांक 02 भोला साव उक्त वाहन को तेजी लापरवाही,

उपेक्षा व उतावलेपन से चलाते हुए अंकेश गोयल के द्वारा चलाए जा रहे बेलेनों कार को दुर्घटना कारित कर दिया, जिससे अंकेश गोयल के शरीर के विभिन्न अंगों में गंभीर चोट लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया । ईलाज के दौरान अंकेश गोयल का फौत (मृत्यु)हो गया ।

11. आवेदक साक्षी प्रकाश गोयल (अ.सा.02) ने अपने प्रति परीक्षण में बचाव पक्ष के सुझाव को स्वीकार किया है कि वह उक्त दुर्घटना के संबंध में थाना में सूचना नहीं दिया था । पुलिस के द्वारा उक्त दुर्घटना के संबंध में तैयार की गई आपराधिक प्रकरण में उसे गवाह नहीं बनाया गया है ।

12. प्रश्नगत दुर्घटना के संबंध में महिन्द्रा ट्रेवल्स बस क्रमांक CG 04 NA 7915 का चालक के विरुद्ध दर्ज दांडिक प्रकरण के अभिलेखों से भी अनावेदक क्र. 01 की प्रश्नगत वाहन की दुर्घटना में संलिप्तता प्रथम दृष्टया दर्शित होता है । जिसके अनुसार चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र क्र. 0097/2022 थाना लैलूंगा जिला– रायगढ़(छ०ग०) में दर्ज की गई थी तथा विवेचना के उपरांत अपराध साबूत पाये जाने पर अनावेदक क्र.02 भोला साव, वाहन चालक के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 304 (ए) के तहत अभियोग पत्र प्रपी० 07 प्रस्तुत किया जाना दर्शित है। इसके अतिरिक्त प्रश्नागत घटना में अनावेदक क्र. 02 चालक की उपेक्षा एवं लापरवाही के संबंध में आवेदकगण का साक्ष्य प्रति परीक्षण के दौरान अखंडनीय रहा है, जिस पर अविश्वास किये जाने पर कोई कारण नजर नहीं आता है ।

13. इस संबंध में माननीय न्याय दृष्टांत राजस्थान स्टेट ऑफ ट्रांसपोर्ट कार्पो० विरुद्ध नंद किशोर 2002 (01) दु० म० प्र० 366 में यह अवधारित है कि मोटर दुर्घटना से होने वाले प्रतिकर का निराकरण करते समय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों का कठोरता से पालन करने पर जोर न दिया जाकर संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिये । "प्रथम सूचना रिपोर्ट, अन्वेषण्, मानचित्र स्थल अन्वेषण, मेमो, पंचनामा, उपहति रिपोर्ट अथवा चिकित्सा से संबंधित अन्य सुसंगत दस्तावेजों की जिन्हें पुलिस अथवा चिकित्सक द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन करते समय तैयार किया गया हो, बिना किसी औपचारिक सबूत के साक्ष्य में स्वीकार होते हैं जब तक कि उन्हें मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य खंडन न कर दिया जावे । "

14. चूँकि मोटर दुर्घटना वाहन अधिनियम एक हितकारी विधायन है एवं मोटर दुर्घटना से उद्भूत मामलों में मृतक/आहत के हितों को संरक्षित करता है, अतएव उक्त अधिनियम से उत्पन्न प्रकरणों में प्रक्रिया संबंधी विधि का कठोर अर्थान्वयन नहीं किया जाना चाहिये, परिणामतः प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में ग्राह्य किया जाकर यह अवधारण की जाती है कि घटना के सुसंगत समय पर वाहन महिन्द्रा ट्रेवल्स बस क्रमांक CG 04 NA 7915 के चालक द्वारा उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के परिणाम स्वरुप अंकेश गोयल की मृत्यु हो गई । अतः वाद प्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष "साबित " में अभिलिखित किया जाता है ।

वाद प्रश्न क्रमांक– 03 पर सकारण निष्कर्ष

15. इस वादप्रश्न को साबित करने का भार अनावेदक क्र. 03 नेशनल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड का है । यद्यपि अनावेदक क्र. 03 बीमा कंपनी अपने जबाव दावा में आपराधिक वाहन महिन्द्रा ट्रेवल्स बस क्रमांक CG 04 NA 7915 के चालक के पास दुर्घटना के समय वैद्य एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति न होना एवं आपराधिक एवं बीमा पालिसी के शर्तों का उल्लंघन में चलाया जाना अभिवचनीत किया है किंतु अपने उपरोक्त अभिवचन के संबंध में न ही कोई ऐसा मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया है । जिसके आधार पर बीमा कंपनी के पक्ष में उपधारणा की जा सके । वैसे भी साक्ष्य विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि केवल अभिवचनीत कर देने मात्र से तथ्य सिद्ध नहीं माने जाते, जब तक कि उन्हे साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित न किया गया हो ।

16. इसके अतिरिक्त दाण्डिक अभिलेख के साथ संबंध में जप्ती पत्रक प्रपी 04 से भी यह दर्शित होता है कि आपराधिक वाहन महिन्द्रा ट्रेवल्स बस क्रमांक CG 04 NA 7915 का आर सी बुक एवं बीमा कंपनी के द्वारा दुर्घटना समय पर बीमित होने तथा आरोपी चालक का ड्रायविंग लाइसेंस वैद्य स्थिति को पुलिस द्वारा जप्त किया गया था । प्रश्नगत मामले में बीमा कंपनी अपने पक्ष के अभिवचन को प्रमाणित करने के सिद्धभार के उत्तरदायित्व के निर्वहन में पूर्णतः विफल रहने के आधार पर बीमा कंपनी के पक्ष में यह उपधारणा नही

की जा सकती है कि आपराधिक वाहन महिन्द्रा ट्रेवल्स बस क्रमांक CG 04 NA 7915 को दुर्घटना के समय बीमा पालिसी के शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था तथा आपराधिक वाहन का चालक वैद्य एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस धारण नही किया था । अतः वाद प्रश्न क्र.03 का निष्कर्ष "साबित नही" अभिलिखित किया जाता है ।

वाद प्रश्न क्रमांक– 02 एवं 04 पर सकारण निष्कर्ष

17. प्रकरण में साक्ष्य का विश्लेषण एवं पुनरावृत्ति से बचने के लिए सुविधा की दृष्टिकोण से उपरोक्त वाद प्रश्न क्र.02 एवं 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है ।

18. उपरोक्त वाद प्रश्न को साबित करने के भार पर आवेदकगण का है। आवेदक साक्षी शिव कुमार अग्रवाल (आ. सा. क्र. 01) ने अपने शपथपत्रीय कथन में बताया है कि मृतक की दुर्घटना के समय आयु 27 वर्ष थी एवं उसने अपने पुत्र अंकेश गोयल की आयु के संबंध में आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत किया है एवं प्रकरण में पुलिस द्वारा तैयार मृतक के शव परीक्षण आवेदन प्रपी 03 एवं शव परीक्षण प्रतिवेदन में मृतक की उम्र 27 वर्ष होना उल्लेखित है । उपरोक्त कथनों के आधार पर यहां माना जा सकता है कि घटना दिनांक को मृतक अंकेश गोयल की उम्र 27 वर्ष थी ।

19. आवेदक शिव कुमार गोयल (आ. सा. क्र. 01) ने अपने शपथ पत्रीय अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि उसका पुत्र अंकेश गोयल की स्वयं की

मोबाईल विक्रय की दुकान थी जिसमें मृतक मोबाईल व मोबाइल से संबंधित उपयोगी वस्तुएं (एसेसरीज) का विक्रय कार्य करके प्रतिमाह 40,000/– रुपए की आय अर्जित करता था । उक्त साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि वह जितने भी इनकम टैक्स की छायाप्रति प्रस्तुत किया है वे दस्तावेज सहेली फैंन्सी से संबंधित है । साक्षी ने स्वतः कहा है कि मोबाईल दुकान का नाम ही सहेली फैंन्सी था । आवेदक द्वारा अपने कथन के समर्थन में आयकर रिटर्न 2013–2014, 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019, 2020–2021, 2022–2023 तक एवं एक्नॉलेजमेंट की छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना दर्शित होता है। अतः ऐसी स्थिति में मृतक अंकेश गोयल के द्वारा अपने स्वयं के व्यवसाय से प्रतिमाह 40,000/– रुपये आय अर्जित करता था, का तथ्य भी प्रमाणित पाया जाता है ।

20. फलतः मृतक अंकेश गोयल की घटना दिनांक 01.05.2022 को आय प्रतिमाह 40,000/– रुपये (चालीस हजार रुपये) माना जाना न्यायोचित होने के आधार पर उक्त आय उपधारित की जाती है ।

21. अतः ऐसी स्थिति में घटना वर्ष 2022 में मृतक की योग्यता, उम्र एवं कार्य के आधार पर उसकी मासिक आय 40,000/– रुपये (चालीस हजार रुपये)प्रतिमाह मानते हुये आश्रितता की हानि की गणना किया जाना उचित प्रतीत होता है जिससे कि यह आय वार्षिक संदर्भों में 40,000x12 =

4,80,000/– रुपये होता है, जहां तक का आश्रितता का संबंध है, इस संबंध में आवेदक क्र. 01 शिव कुमार गोयल उम्र 54 वर्ष एवं श्रीमती उषा गोयल उम्र 48 वर्ष मृतक अंकेश गोयल की माता –पिता , आवेदक क्र. 03 आकाश गोयल उम्र 24 वर्ष, मृतक अंकेश गोयल का भाई आवेदक क्रमांक 04 सुप्रिया अग्रवाल उम्र 29 वर्ष मृतक अंकेश गोयल की बहन एवं आवेदक क्रमांक 05 प्रथम अग्रवाल उम्र 10 वर्ष एवं आवेदक क्रमांक 06 आकृति अग्रवाल उम्र 06 मृतक अंकेश गोयल की भांजी–भांजा होना बताया गया है किन्तु आवेदक शिव कुमार (अ.सा.01) ने अपने प्रतिपरीक्षण में आवेदिका सुप्रिया अग्रवाल का विवाह हो चुका का है । आवेदक क्रमांक 05 एवं 06 मृतक की संतान नहीं है के सुझाव को स्वीकार किया है एवं आवेदक क्रमांक 03 आकाश गोयल उम्र 24 वर्ष स्वयं व्यस्क होकर मृतक की प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी नहीं है । अतः उक्त संबंध में यह उपधारणा की जा सकती है कि मृतक अंकेश गोयल आवेदक क्र. 01 से 02 का भरण–पोषण करता होगा । अतः आवेदक क्र.01 से 02 मृतक अंकेश गोयल की आश्रित दर्शित होते है ।

22. इस संबंध में माननीय न्यायदृष्टांत श्रीमती सरला वर्मा व अन्य विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम व एक अन्य 2009 (2) ए० सी० सी० डी० 924 (उच्चतम न्यायालय) एवं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी एवं अन्य 2009 एस० एल० पी० (सिविल) नंबर– 25590/2014 निर्णय दिनांक– 31 अक्टूबर 2017 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय

द्वारा यह मार्गदर्शन दिया गया है कि यदि मृतक अविवाहित है एवं आश्रितों की संख्या दो हो तो वहां 1/2 की कटौती होगी । अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त मार्गदर्शन के आलोक में मृतक द्वारा अपनी आमदनी का 1/2 हिस्सा स्वयं पर किया जाने वाला व्यय मानकर घटाये जाने पर 4,80,000–2,40,000= 2,40,000/– रुपये उसकी आय पर आवेदकगण की वार्षिक आश्रितता की राशि की निकलता है ।

23. प्रकरण में घटना के समय मृतक अंकेश गोयल की आयु 27 वर्ष होना निर्धारित किया गया है । ऐसे में उपरोक्त माननीय न्यायदृष्टांत श्रीमती सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार 17 गुणांक प्रयोज्य होता है । इस प्रकार 2,40,000/– रुपये वार्षिक आश्रितता की राशि में 17 का गुणांक प्रयोज्य किये जाने पर कुल 2,40,000 x 17 = आश्रितता में हानि के मद की राशि 40,80,000/– रुपये होता है ।

24. भविष्य की आय की संभावना के संबंध में माननीय न्यायदृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी एवं अन्य 2009 एस० एल० पी० सिविल नंबर– 25590/2014 निर्णय दिनांक–31 अक्टूबर 2017 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाता है कि स्वनियोजित व्यक्ति की उम्र 27 वर्ष अर्थात् 39 वर्ष से कम होने पर 40 प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्रदाय किया जावेगा । उक्त् आधार पर

40,80,000/– रुपये का 40 प्रतिशत की राशि 16,32,000/– रुपये होता है ।

25. इस संबंध में माननीय न्यायादृष्टांत United India Insurance Co. Ltd. Vs Satinder Kaur alias Satwinder Kaur and others 2020 SCC Online (Sc) 410 (Judgement Date 30.06.2020) एवं New India Insurance Co. Ltd. SOMWATI (2020) 9 SCC 644 (Judgement Date 01.09.2020) में प्रणय सेठी (पूर्वोक्त) के इस दिशा निर्देश को लागू किया गया है कि तीन वर्ष पश्चात अंत्येष्ठि खर्च की राशि में 10 प्रतिशत की वृद्ध की जाएगी । वर्तमान में प्रणय सेठी (पूर्वोक्त) के निर्णय दिनांक–31.07.2017 को पारित हुये तीन वर्ष हो चुके है, अतः इस मामले में भी उपरोक्तनुसार 10 प्रतिशत की वृध्दि की जाएगी ।

26. इसके अलावा माननीय न्यायदृष्टांत सतीन्दर कौर (पूर्वोक्त) में मृतक की पत्नी, पुत्र–पुत्रियों एवं माता–पिता को क्रमशः (Spousal consortium, parental consortium, Filial consortium) हेतु पृथक–पृथक consortium दिलाये जाने के दिशा निर्देश है । अतः उपरोक्त समस्त दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अत्येष्ठि खर्च के मद में 16,500/– रुपये, सम्पदा की हानि के मद में 16,500/– रुपये एवं माता–पिता के सहचर्य के मद में (आवेदक क्र.01 शिव कुमार गोयल एवं आवेदक क्र. 02

श्रीमती उषा गोयल के हेतु) प्रत्येक को 44,000/– रुपये 44,000/– रुपये दिलाई जाती है ।

27. अतः आवेदकगण को शीर्ष में विभिन्न मदों में कुल क्षतिपूर्ति राशि निम्नानुसार दिलायी जाती है–

क्र.	निम्न मदों में क्षतिपूर्ति के लिये	क्षतिपुर्ति राशि
1.	आश्रितता की हानि के मद में	40,80,000/–
2.	संपदा हानि के मद में	16,500/-
3.	अंत्येष्ठि व्यय के मद में	16,500/-
4.	माता–पिता एवं भाई को सहचर्य के हानि के मद में	44,000x2= 88,000/–
5.	भविष्य की आय की हानि के मद में	16,32,000/–
	कुल क्षतिपूर्ति राशि	58,33,000/-

28. आवेदकगण के द्वारा अपने तर्क के दौरान क्षतिपूर्ति राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाये जाने का निवेदन किया गया है, किंतु उपरोक्त् ब्याज दर अत्यधिक है । इस संबंध में माननीय न्याय दृष्टांत आर० के० मलिक बनाम किरण पाल व अन्य 2009 ए० सी० जे० पेज– 1924 (सु० को०) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है कि मोटर दुर्घटना

मामले में क्षतिपूर्ति राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाया जाना समुचित है । अतः आवेदकगण को देय राशि में दावा प्रस्तुति दिनांक से उक्तानुसार क्षतिपूर्ति राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलवाना युक्ति–युक्त व न्यायोचित होगा ।

29. अब यह विचार किया जाना है कि उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी हेतु कौन जिम्मेदार है । इस दावा प्रकरण में यह तथ्य अविवादित है कि दुर्घटना के समय दोषी वाहन महिन्द्रा ट्रेवल्स बस जिसका क्रमांक C.G.04 NA 7915 अनावेदक क्र. 03 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास बीमित था । वहीं उक्त आपराधिक वाहन महिन्द्रा ट्रेवल्स बस जिसका क्रमांक C.G.04 NA 7915 को घटना के दौरान दोषी वाहन के चालक अनावेदक क्र. 02 द्वारा वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस के साथ चलाया जा रहा था, इस प्रकार बीमा पालिसी की शर्तों का उल्लंघन किया जाना दर्शित नहीं होता है । अतः आवेदकगण को देय क्षतिपूर्ति की राशि की अदायगी हेतु अनावेदक क्र. 01 से 03 संयुक्ततः एवं पृथक्तः उत्तरदायी है किन्तु प्रथम दायित्व अनावेदक क्र. 03 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का होगा । उपरोक्तानुसार इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष दिया जाता है ।

<u>सहायता एवं वाद व्यय</u>

30. प्रकरण के उपरोक्त साक्ष्य के विवेचना एवं विश्लेषण पश्चात यह उपधारित किया जाता है कि आवेदकगण अपना दावा आंशिक रुप से प्रमाणित

करने में सफल रहे है । अतः प्रकरण में निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है–

1. अनावेदक क्र. 03 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आवेदकगण को कुल **58,33,000/–** क्षतिपूर्ति राशि अदा करने हेतु दायित्वाधीन रहेंगे ।

2. अनावेदक क्र. 03 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आवेदकगण को उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर दावा दिनांक– 28.06.2022 से अंतिम अदायगी तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करेंगे ।

3. सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि में से आवेदक क्र.01 शिव कुमार गोयल एवं आवेदक क्र. 02 श्रीमती उषा गोयल को सहचर्य की हानि की राशि प्रत्येक को 44,000–44,000/– रुपये, कुल 88,000/– रुपये दिलायी जाती है । जिसका भुगतान आवेदक क्र. 01 शिव कुमार गोयल एवं आवेदक क्र.02 श्रीमती उषा गोयल को उनके बचत खाता के माध्यम से नगद किया जावे ।

4. शेष राशि में से आवेदक क्र. 02 श्रीमती उषा गोयल मृतक की माँ को 60 प्रतिशत राशि दिलायी जाती है । आवेदक क्र.02 को प्राप्त होने वाले उसके हिस्से की राशि में से दो तिहाई राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि जमा खाते में पाँच वर्ष के लिए एवं शेष राशि उसके बचत खाते में जमा की जावे ।

5. आवेदक क्र. 01 शिव कुमार गोयल मृतक के पिता को 40 प्रतिशत राशि दिलायी जाती है । आवेदक क्र.01 को प्राप्त होने वाले उसके हिस्से की

राशि में से दो तिहाई राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि जमा खाते में पाँच वर्ष के लिए एवं शेष राशि उसके बचत खाते में जमा की जावे ।

6. अनावेदक द्वारा आवेदकगण को अंतरिम प्रतिकर के रुप में यदि कोई राशि भुगतान किया गया होगा तो उक्त राशि का मूल क्षतिपूर्ति राशि के समायोजन करने के बाद शेष बचत राशि को अनावेदकगण, आवेदकगण को अदा करेंगे ।

7. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के रिट पिटीशन (227) नंबर 09/2017 श्रीमती सुनीताबाई बनाम् श्री डी. डी. डी. वैष्णव में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार पक्षकार को निर्देशित किया गया कि उसके द्वारा अपने बैंक खाते के विवरण के साथ बैंक खाते के विवरण के साथ बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ का प्रमाणित प्रति के साथ मूल पास बुक पेश करने पर तथा इसके अतिरिक्त पक्षकार आवेदक अपना आधार नंबर या पेन कार्ड भी प्रस्तुत करने पर अधिकरण के खाता से उसके खाते में राशि अंतरित किया जावेगा ।

8. आवेदकगण को प्रदत्त की जाने वाली उक्त संपूर्ण क्षतिपूर्ति की राशि को अनावेदकगण इस आदेश दिनांक से 30 दिवस के भीतर इस अधिकरण के खाते में जमा करेंगे ।

9. उभयपक्ष हेतु अधिवक्ता शुल्क 1500–1500/– रुपये निर्धारित किया जाता है । यदि नियमानुसार इससे कम हो तब उसके अनुसार राशि प्रदान की जावे ।

10. उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

" तदानुसार व्यय तालिका बनाई जावे । "

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

दिनांक– 30.11.2023

सही/–

(जितेन्द्र कुमार ठाकुर)

द्वितीय अपर मो० दु० दा० अधिकरण

रायगढ़ (छ०ग०)